

personally so that you could direct the Government in this matter. They have sent this memorandum to all political parties and I give it to you personally so that you can ask the Government to take up the matter.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : It is not necessary to give the memorandum when you have already explained the position.

PRESENTATION OF PETITION

SHRI GODEY MURAHARI : Sir, I beg leave to present a petition signed by Shri D. J. K. Cornelius, Trustee, Navaj-yothi Trust, Madras and six others praying for adequate job opportunities for the mentally handicapped.

REFERENCE TO FLOOD SITUATION IN BIHAR

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, यों तो बाढ़ से कई प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार-बंगाल और आसाम भी, पीड़ित हैं लेकिन बिहार की स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। श्रीमन्, करीब करीब 1 करोड़ लोग वहां इससे प्रभावित हैं और अभी भी जो बाढ़ आती ही जा रही है गंगा नदी में उससे और डेढ़ करोड़ लोगों के प्रभावित होने की सम्भावना है। 6 हजार गांव प्रभावित हो चुके हैं। 10 लाख हेक्टर जमीन उससे प्रभावित है और 50 से अधिक लोग मर चुके हैं और 1 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और अभी तक जो सरकार के आँकड़े आये हैं उनसे पता चलता है कि 200 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। बिहार सरकार ने कुछ अनुदान दिया है लेकिन उसने केन्द्रीय सरकार से अनुदान की मांग की है और जब तक केन्द्रीय सरकार से अनुदान नहीं मिलता है तब तक शाहाबाद, पटना, सारन, मुंगेर भागलपुर, पूर्णिया, चम्पारन पालामऊ आदि जिलों में जो भयंकर बाढ़ आई

हुई है उस बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का निराकरण नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, मैंने पहले भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि असमय की वर्षा के कारण रबी की फसल बर्बाद हो गई और बाढ़ के कारण अब सम्पूर्ण बिहार के उन जिलों में जहां कि बाढ़ है भदई फसल भी बर्बाद हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। इस स्थिति में, श्रीमन्, अगर ठीक ठीक देखा जाये तो बिहार में अकाल की स्थिति पूर्णतः साफ साफ नजर आने लगी है और अकाल का मुकाबिला करने के लिए प्रदेश सरकार सक्षम नहीं है जब तक कि केन्द्रीय सरकार भी सहयोग न दे तब तक अकाल का मुकाबिला नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, इस बाढ़ से फसल ही बर्बाद नहीं हुई मकान भी बर्बाद हुए हैं और किसानों के मवेशी भी इसमें बर्बाद हुये हैं और आज अगर बाढ़ समाप्त भी हो जाती है तो दो चीजों का अपने सामने और संकट उपस्थित होगा, एक तो बीमारी होगी और दूसरे यह कि किसानों को तत्काल भूमि में बोन के लिए बीज की आवश्यकता होगी और बाढ़ के बाद फसल को बोन के लिए बीज आदि खरीदने के लिए ऋण की भी आवश्यकता होगी। और जो लाख मकान गिरे हैं वह मकान अधिकांश में छोटे छोटे किसानों, गरीब हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के हैं।

जिसका दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार मकानों की दीवारें ढह गई हैं और उसी ढहे हुए मकान के ऊपर वे जमे हुए हैं। उनका न वर्षा से न धूप से किसी प्रकार का कोई बचाव है और बाढ़ इतनी आई है कि सड़कें डूब गई हैं और स्कूल व धर्मशालें आदमियों से भरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को अनाज भेजने की ही व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी बल्कि उसे धन देने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि आने वाले समय

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

में उनको मकान को फिर से बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ तक ऋण देने की बात है उनको और खाम कर हरिजनों को जो मकान बनाने की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए समय पर मकान बनवा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसलिए मैं कृषि मन्त्री जी का और साथ ही साथ सिंचाई मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और उनसे आश्वासन चाहता हूँ ताकि हम जो संसद के सदस्य हैं, आज सदन की समाप्ति के बाद अब अपने अपने क्षेत्रों में लौटेंगे तो वहाँ के पीड़ित लोगों को सरकार द्वारा दिये जाने वाले सहायता कार्य के बारे में अवगत करा सकें। प्रदेश सरकार दिल्ली की ओर से देख रही है ताकि यहाँ की सरकार उन्हें आश्वासन दे सके कि सचमुच में वह उनके आड़े दिन में काम आएगी।

THE ARREST AND SENTENCE OF SHRI LAL K. ADVANI AND SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have 10 inform Members that I have received a letter dated the 12th August, 1971, from the Sub-Divisional Magistrate, New Delhi, intimating that Shri Lai K. Advani and Shri Jagdish Prasad Mathur, Members, Rajya Sabha, were arrested on the 12th August, 1971, under section 188 I. P. C. for violation of prohibitory orders promulgated by the Additional District Magistrate (South) New Delhi.

I have also to inform Members that I have received two communications dated the 12th August, 1971, from the Judicial Magistrate 1st Class, New Delhi, intimating that Shri Lai K. Advani and Shri Jagdish Prasad Mathur, Members, Rajya Sabha, were tried by him under section 188 I.P.C. for violation of prohibitory orders and sentenced till (he rising of the court.

REFERENCE TO SUSPENSION OF SHRI RAJNARAIN

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal) : Sir, I have a submission. When Shri Rajnarain was expelled we on the Opposition did not object to it. Naturally when such things occur, as you know, in the House the Opposition becomes a bit sore but on that day we did not object and we could not. Now that we have done that I want to make this appeal—why this day also he should stand expelled—whether it is not possible to rescind that. I would appeal to that party also that they should take care in future that things are not pushed to such impossible lengths.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Do you want to say anything ?

(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, संसदीय कार्य विभाग में..
राज्य-मन्त्री (SHRI OM MEHTA) : No. Sir; not at this stage.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MS. GURUPADASWAMY) : Sir, I only want to say one thing. It is very difficult for me to make a request I know and some of the things that I saw the other day were very disturbing. If the Chair and the Members opposite can reconsider the situation—the punishment has already been made ; he has also been removed forcibly from the House—if he comes back and expresses Tegeret then I think we can allow him.

(Interruptions)

DR. Z. A. AHMAD (Uttar Pradesh) : Who will express regret, Mr. Rajnarain ?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : I am making a submission. I am not sure of that part of it but if the Chair, the Members opposite and Members here can rescind his suspension for today, since he has already been punished, I would welcome it.

SHRI C. D. PANDE : Mr. Goray has already expressed regrets.